

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 04-10-2024

विषय सूची

5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जेलों में जातिगत पूर्वाग्रह और अलगाव केंद्र सरकार द्वारा वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने का विरोध पंचवर्षीय क्रूज भारत मिशन AI-संचालित सूचना तक पहुंच में नैतिक विचार

संक्षिप्त समाचार

राजा रवि वर्मा
लिटिल प्रेस्पा (Prespa) झील
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्णोन्नति योजना की स्वीकृति प्रधानमंत्री इंटरनेशनल योजना इटली और स्विटजरलैंड द्वारा अपनी अल्पाइन सीमा का पुनः निर्धारण असम जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को GI टैग मौद्रिक नीति समिति (MPC) एनविस्टैट्स इंडिया 2024: पर्यावरण लेखा फ्रूट फ्लॉई के मस्तिष्क का मानचित्रण करने वाला नया अध्ययन आकाशतीर प्रणाली (Akashteer Systems) आयरन डोम एंटी मिसाइल प्रणाली चागोस द्वीप

5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा

सन्दर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिससे मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर ग्यारह हो गई है।
 - मंत्रिमंडल ने केंद्र की भाषा विशेषज्ञ समिति के तहत शास्त्रीय भाषाओं के लिए पात्रता मानदंड को भी अद्यतन किया।

शास्त्रीय भाषाएँ

- भारत में छह शास्त्रीय भाषाएँ थीं - तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया।
 - तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया।
 - सभी शास्त्रीय भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
- **मानदंड:** इसके प्रारंभिक ग्रंथों/अभिलेखित इतिहास की प्राचीनता 1,500-2,000 वर्षों की अवधि में उच्च होनी चाहिए,
 - प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक समूह जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है,
 - "ज्ञान ग्रंथों" की उपस्थिति, विशेष रूप से कविता के अतिरिक्त गद्य ग्रंथ, पुरालेखीय और शिलालेखीय साक्ष्य,
 - उक्त भाषा और साहित्य अपने आधुनिक प्रारूप से अलग होना चाहिए।
- **लाभ:** शिक्षा मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिए कुछ लाभ प्रदान करता है जैसे:
 - उक्त भाषाओं में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए दो प्रमुख वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, शास्त्रीय भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाती है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जाता है कि वह कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषा के लिए एक निश्चित संख्या में पीठों की स्थापना शुरू करे।

Source: HT

जेलों में जातिगत पूर्वाग्रह और अलगाव

सन्दर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कैदियों के प्रति जाति-आधारित भेदभाव मौलिक मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व के लिए दमनकारी है।

परिचय

- उच्चतम न्यायालय ने पाया कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल सहित 10 से अधिक राज्यों के जेल मैनुअल में ऐसे प्रावधान हैं जो जाति के आधार पर जेलों में भेदभाव और जबरन श्रम को मंजूरी देते हैं।

- जेल नियमों में वर्तमान पूर्वाग्रह शारीरिक श्रम के विभाजन, बैरकों के पृथक्करण और ऐसे प्रावधानों के संबंध में हैं जो विमुक्त जनजातियों और आदतन अपराधियों से संबंधित कैदियों के साथ भेदभाव करते हैं।
- जेलों में छोटे-मोटे (manial) कार्य उन कैदियों को नहीं दिए जाते जो किसी विशेष जाति से संबंधित होते हैं और जो उनकी जाति की नहीं होती।
- तमिलनाडु में पलायमकोट्टई सेंट्रल जेल के विभिन्न खंडों में थेवर, नादर और पल्लर को अलग करना बैरकों के जाति-आधारित पृथक्करण का एक ऐसा ही उदाहरण था।
- यहां तक कि केंद्र सरकार के 2016 के आधुनिक जेल मैनुअल और 2023 के मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम में भी "आदतन अपराधियों" को अलग-अलग दर पर रखा गया है, जो अधिकांशतः विमुक्त जनजातियों के सदस्य हैं।
- ये कानून जाति और धार्मिक आधार पर जेलों में रसोई के कार्य और खाना पकाने का कार्य सौंपते हैं। वे जेलों में जाति-आधारित विशेषाधिकार जारी रखते हैं।

निर्णय की मुख्य बातें

- उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उदाहरण दिया जिसमें भेदभाव के विरुद्ध मौलिक अधिकार दिया गया है।
 - उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर राज्य स्वयं किसी नागरिक के साथ भेदभाव करता है तो यह सर्वोच्च स्तर का भेदभाव है।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कैदियों के बीच भेदभाव और जाति के आधार पर कार्य का वितरण अस्पृश्यता के समान है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत निषिद्ध है।
- अपमानजनक श्रम और दमनकारी प्रथाएँ संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन करती हैं।
- जेल नियमावली में विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के सदस्यों को "जन्मजात अपराधी" और आदतन अपराधी मानकर औपनिवेशिक जाति-आधारित भेदभाव की फिर से पुष्टि की गई है।
- न्यायालय ने जेल नियमावली में 'आदतन अपराधियों' के लिए वैधानिक रूप से समर्थित नहीं, सभी ढीले संदर्भों को असंवैधानिक घोषित किया।
- इसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और केंद्रीय मॉडल जेल नियमावली के तहत गठित आगंतुकों के बोर्ड को जेलों में प्रचलित भेदभावपूर्ण प्रथाओं की पहचान करने के लिए नियमित निरीक्षण करने का भी आदेश दिया।

Removing bias

The Bench says "everyone is born equal" and cannot suffer lifelong due to stigma attached to their caste.

The directions include:

- States and UTs should revise their Prison Manuals/Rules in three months
- Centre should address caste-based discrimination in the Model Prison Manual 2016 and the Model Prisons and Correctional Services Act 2023 in three months
- "Caste columns" and references to caste in prisoners' registers should be removed

Source: TH

केंद्र सरकार द्वारा वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने का विरोध

सन्दर्भ

- केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि विवाह के अंदर बिना सहमति के यौन कृत्यों को 'बलात्कार' के रूप में अपराध घोषित करने से वैवाहिक संबंध बाधित हो सकते हैं तथा विवाह संस्था अस्थिर हो सकती है।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के अपवाद 2 को समाप्त करने की मांग करने वाली कई जनहित याचिकाओं का प्रत्युत्तर दे रही थी।
- यह प्रावधान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाने को, अगर पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक है, 'बलात्कार' की परिभाषा से बाहर रखता है।

वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के पक्ष में तर्क

- **विवाह कोई लाइसेंस नहीं है:** विवाह को पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ जबरन बलात्कार करने के लाइसेंस के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21:** एक महिला अपने पति के साथ यौन संबंधों से मना करने की हकदार है क्योंकि शारीरिक अखंडता और गोपनीयता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक आंतरिक हिस्सा है।
- कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णाप्पा में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि यौन हिंसा एक अमानवीय कृत्य होने के अतिरिक्त एक महिला की गोपनीयता और पवित्रता के अधिकार का एक गैरकानूनी अतिक्रमण है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14:** भारतीय महिलाओं को अनुच्छेद 14 के तहत समान रूप से व्यवहार करने का अधिकार है और किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों को किसी के द्वारा भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें उसका जीवनसाथी भी शामिल है।
- **मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य:** CEDAW (महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन) जैसी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियाँ, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, विवाह के अंदर सहित सभी प्रकार की यौन हिंसा के अपराधीकरण का समर्थन करती हैं।
- **वैश्विक उदाहरण:** कई देशों ने पहले ही वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया है, इसे यौन हिंसा का एक रूप माना है। एक प्रगतिशील लोकतंत्र होने के कारण भारत को महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

वैवाहिक बलात्कार पर वर्मा समिति का दृष्टिकोण

- वर्मा समिति ने सिफारिश की कि वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को हटा दिया जाना चाहिए, यह इंगित करते हुए कि "अपराधी या पीड़ित के बीच वैवाहिक या अन्य संबंध बलात्कार या यौन उल्लंघन के अपराधों के विरुद्ध एक वैध बचाव नहीं है।"
- यूरोपीय मानवाधिकार आयोग के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए, समिति ने इस निष्कर्ष का समर्थन किया कि बलात्कारी, पीड़ित के साथ अपने रिश्ते के बावजूद बलात्कारी ही रहता है।

वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने के विरुद्ध तर्क

- **विवाह को एक संस्था के रूप में अस्थिर करना:** यह परिवारों में पूरी तरह से अराजकता उत्पन्न कर सकता है और विवाह की संस्था को अस्थिर कर सकता है।
- **कानून का दुरुपयोग:** यह IPC की धारा 498A (विवाहित महिला को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा परेशान करना) के बढ़ते दुरुपयोग के समान कानून का दुरुपयोग करके पतियों को परेशान करने का एक आसान साधन बन सकता है।
- **कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे:** वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से गवाही की सत्यता, न्यायालयों में साक्ष्य आदि जैसे मुद्दे उत्पन्न होंगे।
- गृह मंत्रालय ने तर्क दिया कि विवाहित होने से महिला की सहमति देने या मना करने का अधिकार नहीं छिनता। भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत विवाह के अंदर महिला की सहमति की रक्षा के लिए अन्य कानून भी हैं।
 - **धारा 354:** महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के लिए हमला या बल प्रयोग करने पर दंडनीय है।
 - **धारा 354A:** यौन उत्पीड़न से संबंधित है।
 - **धारा 354B:** महिला को निर्वस्त्र करने के इच्छा से हमला या बल प्रयोग करने पर दंडनीय है।
 - **धारा 498A :** पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को संबोधित करती है।

आगे की राह

- वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक कानून के दायरे से लगातार छूट दिए जाने से पत्नी को पति की एकमात्र संपत्ति माना जाता है।
- विवाह संस्था की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन कानूनों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं की स्वायत्तता और सहमति बनी रहे।
- हालाँकि, वैवाहिक बलात्कार को केवल अपराध घोषित करने से इसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि इस तरह के कृत्य को रोकने में "नैतिक और सामाजिक जागरूकता" की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- भारत वैश्विक उदाहरणों को देख सकता है जहाँ वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया गया है, और दुरुपयोग को कम करने तथा न्याय सुनिश्चित करने के साथ-साथ कानून को लागू करने के उनके तरीकों से सीख सकता है।

Source: [TH](#)

पंचवर्षीय कृज़ भारत मिशन

सन्दर्भ

- केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने मुंबई बंदरगाह से पांच वर्षीय कृज़ भारत मिशन का शुभारंभ किया।

परिचय

- इस मिशन का उद्देश्य भारत के कूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र बनने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना और देश को अग्रणी वैश्विक कूज गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है।
- इसमें चरण 1 में समुद्री कूज यात्रियों की संख्या को 0.5 मिलियन से बढ़ाकर 1 मिलियन करना और चरण 1 में नदी कूज यात्रियों की संख्या को 0.5 मिलियन से बढ़ाकर चरण 3 तक 1.5 मिलियन करना शामिल है।
- इसमें मिशन के तहत 10 समुद्री कूज टर्मिनल, 100 नदी कूज टर्मिनल और पांच मरीना विकसित करना भी शामिल है।

मिशन के कार्यान्वयन चरण

- मिशन का कार्यान्वयन तीन चरणों में किया जाएगा, जो 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक चलेगा:
 - **चरण 1:** शोध गतिविधियों, मास्टर प्लानिंग और पड़ोसी देशों के साथ कूज गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, साथ ही वर्तमान कूज बंदरगाहों, मरीना और गंतव्यों के आधुनिकीकरण पर कार्य किया जाएगा।
 - **चरण 2:** उच्च क्षमता वाले कूज सर्किट और साइटों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त मरीना, कूज टर्मिनल और गंतव्य विकसित करने का लक्ष्य है।
 - **चरण 3:** पारिस्थितिकी तंत्र की परिपक्वता को दर्शाने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में सभी कूज सर्किटों को एकीकृत करते हुए कूज टर्मिनल, मरीना और गंतव्यों का विस्तार जारी रखना।

कूज पर्यटन के तीन खंड

- **महासागर और बंदरगाह कूज:** इसमें महासागर कूज, तटीय और गहरे समुद्र की सैर, साथ ही विभिन्न बंदरगाहों से नौकायन और नौकायन यात्राएं शामिल हैं।
- **नदी और अंतर्देशीय कूज:** नदी और अंतर्देशीय कूज, नहरों, बैकवाटर, खाड़ियों और झीलों की खोज पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **द्वीप कूज:** लाइव-बोर्ड भ्रमण, कम-ज्ञात स्थानों के लिए बुटीक कूज, लाइटहाउस टूर और अंतर-द्वीप कूज प्रदान करता है।

मिशन का महत्व

- **पर्यटन को बढ़ावा:** यह मिशन भारत के समुद्री परिदृश्य को बदल देगा और कूज पर्यटन के माध्यम से विशाल तटरेखा तथा जलमार्गों की क्षमता का दोहन करेगा।
- **आर्थिक विकास और रोजगार सृजन:** इसका उद्देश्य 2029 तक भारत में कूज पर्यटन को 1 मिलियन यात्रियों तक बढ़ाना और 400,000 रोजगारों का सृजन करना है।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** मिशन का उद्देश्य नदियों और तटीय क्षेत्रों में कूज को बढ़ावा देकर पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास करना भी है।

Source: [BS](#)

AI-संचालित सूचना तक पहुंच में नैतिक विचार

सन्दर्भ

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को एक परिवर्तनकारी तुल्यकारक के रूप में मनाया जाता है, जो व्यक्तियों के ज्ञान तक पहुँचने, व्याख्या करने और साझा करने के तरीके को बेहतर बनाता है। हालाँकि, पूर्वाग्रह, पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बारे में

- AI एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को मानवीय सीखने, समझने, समस्या समाधान, निर्णय लेने, रचनात्मकता तथा स्वायत्तता का अनुकरण करने में सक्षम बनाती है।
- यह डेटा प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग में दशकों की प्रगति का परिणाम है।
- इसके विविध अनुप्रयोग हैं, जिनमें अनुवाद उपकरण, चैटबॉट, सामग्री फ़िल्टरिंग और संसरशिप शामिल हैं।

AI की परिवर्तनकारी क्षमता

- **सूचना का लोकतंत्रीकरण:** AI भूगोल, भाषा और साक्षरता द्वारा आकार दी गई सूचना के लिए ऐतिहासिक बाधाओं को दूर करता है।
- **स्वास्थ्य सेवा सूचना तक पहुँच:** साइनिंग अवतार और डिजिटल स्वास्थ्य कार्यकर्ता फ्लोरेंस जैसे AI टूल ने महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा पहुँच में सुधार किया।
- **S.A.R.A.H. लॉन्च:** AI-संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर उपयोगकर्ताओं को स्वास्थ्य जोखिमों को समझने और सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है।
- **शिक्षा तक पहुँच:** खान अकादमी और बायजू जैसे प्लेटफ़ॉर्म व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा को तैयार करने के लिए AI का उपयोग करते हैं।
 - कोर्सेरा ने पाठ्यक्रमों का हिंदी में अनुवाद किया, जिससे पहुँच में वृद्धि हुई।
 - EBS के AI-Pengtalk कार्यक्रम जैसे भाषा प्रवीणता कार्यक्रमों ने कोरिया में छात्रों के लिए अंग्रेजी कौशल में सुधार किया।
- **सरकारी सेवाओं तक पहुँच:** चैटबॉट जुगलबंदी Microsoft और AI4Bharat द्वारा विकसित, यह चैटबॉट 10 भारतीय भाषाओं में सरकारी सेवा की जानकारी प्रदान करता है।
- **बढ़ी हुई सूचना खोज:** 2019 में लॉन्च की गई राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, AI सुविधाओं के साथ लाखों डिजिटल संसाधनों तक पहुँच प्रदान करती है।
- मिशन भाषिणी का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं तक बहुभाषी पहुँच के लिए एक भारतीय भाषा तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

AI विकास में नैतिक चुनौतियाँ

- AI को अनुवाद, चैटबॉट और सामग्री फ़िल्टरिंग में अनुप्रयोगों के साथ एक महान तुल्यकारक के रूप में देखा जाता है, यह इस बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ भी उठाता है

- **एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह:** AI प्रशिक्षण डेटासेट में वर्तमान पूर्वाग्रहों को दोहरा या बढ़ा सकता है, जिससे असमान सूचना पहुँच हो सकती है।
- **गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** AI व्यक्तिगत डेटा पर निर्भर करता है, जिससे दुरुपयोग और अनधिकृत पहुँच के मुद्दे उठते हैं।
- **जवाबदेही:** AI सिस्टम विफलताओं के लिए अस्पष्ट जिम्मेदारी जवाबदेही को जटिल बनाती है।
- **पारदर्शिता और व्याख्या:** AI प्रायः एक "ब्लैक बॉक्स" के रूप में कार्य करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को समझना मुश्किल हो जाता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- AI-संचालित सूचना पहुँच लोगों द्वारा सूचना खोजने और उसका उपभोग करने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए अनेकों अवसर प्रस्तुत करती है।
- हालाँकि, ये अवसर नैतिक चुनौतियों के साथ आते हैं, जिन्हें संबोधित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि AI सिस्टम वास्तव में सूचना तक सार्वभौमिक पहुँच की भावना के साथ संरक्षित हो।
- विकास और परिनियोजन के प्रत्येक चरण के केंद्र में समावेशिता, पारदर्शिता, गोपनीयता और जवाबदेही होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम सभी के लिए एक न्यायसंगत और विश्वसनीय सूचना पारिस्थितिकी तंत्र बना सकें।
- केवल नैतिक AI को प्राथमिकता देकर ही हम सार्वभौमिक सूचना पहुँच के लिए एक उपकरण के रूप में इसके पूर्ण वादे को साकार कर सकते हैं।

Source: ORF

संक्षिप्त समाचार

राजा रवि वर्मा

सन्दर्भ

- प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा को 2 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर याद किया गया।

राजा रवि वर्मा (1848-1906)

- **परिचय:**
 - रवि वर्मा (1848-1906) उन पहले भारतीय चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने पश्चिमी चित्रकला तकनीकों को सफलतापूर्वक अपनाया और भारतीय पौराणिक कथाओं की दृश्य व्याख्या के लिए अकादमिक यथार्थवाद को अपनाया।
- **पृष्ठभूमि और इतिहास:**

- उनका जन्म वर्तमान केरल के तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के किलिमानूर में एक कुलीन परिवार में हुआ था।
- 14 वर्ष की आयु में वर्मा को त्रावणकोर के तत्कालीन शासक अयिलयम थिरुनल ने संरक्षण दिया था।
- बाद में वर्मा ने ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेन्सन से तेल चित्रकला का अध्ययन किया।
- **उनके कार्य:**
 - राजा रवि वर्मा, जिन्हें 'आधुनिक भारतीय कला के जनक' के रूप में भी जाना जाता है, 18वीं शताब्दी के एक भारतीय चित्रकार थे, जिन्होंने महाभारत और रामायण के महाकाव्यों के दृश्यों को चित्रित करने के लिए प्रसिद्धि तथा मान्यता प्राप्त की।
 - उन्होंने देवी-देवताओं के चित्र बनाए, जिससे दलितों को सहायता मिली, जिन्हें मंदिरों में प्रवेश करने से मना किया गया था, ताकि वे देवताओं के बारे में जान सकें।
 - उन्होंने जलरंगों के बजाय तेल के रंगों का प्रयोग किया।
 - उनकी कृतियाँ भारतीय संवेदनशीलता के साथ यूरोपीय तकनीकों के मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण हैं। माना जाता है कि एक विपुल कलाकार के रूप में, राजा रवि वर्मा ने 58 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु से पहले लगभग 7,000 पेंटिंग बनाई थीं।
 - उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में दमयंती हंस से बात करती हुई, शकुंतला दुष्यंत की तलाश में, नायर लेडी एडोरिंग हर हेयर, और शांतनु तथा मत्स्यगंधा शामिल हैं।
- **पुरस्कार और सम्मान:**
 - उनकी 1873 की पेंटिंग, नायर लेडी एडोरिंग हर हेयर, ने वर्मा को मद्रास प्रेसीडेंसी में प्रस्तुत किए जाने पर गवर्नर के स्वर्ण पदक सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार दिलाए।
 - उन्होंने 1873 में वियना कला प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार जीता।
 - 1904 में, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने वर्मा को कैसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। 2013 में, बुध ग्रह पर एक क्रेटर का नाम उनके सम्मान में रखा गया।
 - गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, विश्व की सबसे महंगी साड़ी जिसका नाम 'विवाह पाटू' है, 8 किलो की साड़ी है जिसकी कीमत 40 लाख रुपये है और यह उनकी पेंटिंग को श्रद्धांजलि देती है।

Source: [IE](#)

लिटिल प्रेस्पा(Prespa) झील

समाचार में

- लिटिल प्रेस्पा झील गंभीर पारिस्थितिक गिरावट का सामना कर रही है, जिसके 450 हेक्टेयर में से लगभग 430 हेक्टेयर क्षेत्र दलदल में तब्दील हो गया है या सूख गया है।

लिटिल प्रेस्पा झील के बारे में

- इसे स्मॉल लेक प्रेस्पा के नाम से भी जाना जाता है।

- लिटिल प्रेस्पा झील का अधिकांश हिस्सा ग्रीक क्षेत्र में स्थित है, जिसका केवल दक्षिणी सिरा अल्बानिया में आता है।
- **महत्व:** यह क्षेत्र मछलियों, पक्षियों, स्तनधारियों और पौधों की 2,000 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई अद्वितीय हैं।
- **खतरा:** मूल रूप से 450 हेक्टेयर, जिसमें से 430 हेक्टेयर अब दलदल में तब्दील हो गया है या सूख गया है।
 - गिरावट 1970 के दशक में शुरू हुई जब कम्युनिस्ट अधिकारियों ने कोरका शहर के आसपास सिंचाई के उद्देश्य से देवोल नदी को मोड़ दिया।
- **निवासियों पर प्रभाव:** इस मोड़ ने स्थानीय समुदायों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परिवर्तनों को जन्म दिया है।

Source: TH

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को स्वीकृति समाचार में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र की सभी केंद्रीय योजनाओं को दो नई योजनाओं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना (KY) में विलय कर दिया है।
 - PM-RKVY सतत कृषि को बढ़ावा देगी, जबकि KY खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता को संबोधित करेगी।

विभिन्न योजनाओं का युक्तिकरण निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है:

- दोहराव से बचने के लिए, अभिसरण सुनिश्चित करें और राज्यों को लचीलापन प्रदान करें।
- कृषि की उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करें - पोषण सुरक्षा, स्थिरता, जलवायु लचीलापन, मूल्य श्रृंखला विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी।
- राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यापक रणनीतिक योजना तैयार करने में सक्षम होंगी।
- राज्यों की वार्षिक कार्य योजना (AAP) को व्यक्तिगत योजना-वार AAP को मंजूरी देने के बजाय एक बार में मंजूरी दी जा सकती है।

Source: TH

प्रधानमंत्री इंटरनेशनल योजना

समाचार में

- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटरनेशनल योजना शुरू की है।

परिचय

- **उद्देश्य:** युवाओं को अग्रणी कंपनियों में इंटरशिप के अवसर प्रदान करना, अकादमिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के बीच के अंतर को समाप्त करना।
- **मंत्रालय:** कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
- **अवधि:** इंटरशिप 12 महीने तक चलती है।
- **वृत्ति(stipend):** इंटरन को पूरे वर्ष के लिए ₹5,000 की मासिक वृत्ति मिलेगी।
- **पात्रता मानदंड:** भारतीय नागरिक होना चाहिए।
 - 21-24 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए।
 - पूर्णकालिक रोजगार या पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए।

Source: PIB

इटली और स्विटजरलैंड द्वारा अपनी अल्पाइन सीमा का पुनः निर्धारण

संदर्भ


- स्विटजरलैंड और इटली अपनी राष्ट्रीय सीमा के एक हिस्से को पुनः निर्धारित करने पर सहमत हो गए हैं, क्योंकि अल्पाइन ग्लेशियरों के पिघलने से ऐतिहासिक रूप से परिभाषित सीमा बदल रही है।

परिचय


- स्विटजरलैंड और इटली ने पठार रोजा, कैरेल रिफ्यूज और गोब्बा डि रोलिन के स्थलों में बदलाव करने पर सहमति व्यक्त की है।
- इस क्षेत्र में स्विटजरलैंड का जर्मेट क्षेत्र इटली की एओस्टा घाटी से मिलता है।
- इस क्षेत्र में विभिन्न स्की रिसॉर्ट हैं जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।

Redefining Alpine borders

In many places Alpine borders are defined by the watershed or ridgelines of glaciers



As glaciers shrink their ridgelines can move, shifting the border with them



आल्प्स पर्वत

- आल्प्स पर्वत यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो आठ देशों - फ्रांस, स्विटजरलैंड, इटली, मोनाको, लिकटेंस्टीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया में फैली हुई है।
- आल्प्स का निर्माण लाखों वर्ष पहले अफ्रीकी और यूरोशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव के परिणामस्वरूप हुआ था।
- **सबसे ऊँची चोटी:** मोंट ब्लांक राइन, रोन और पो जैसी नदियाँ आल्प्स से निकलती हैं।

Source: IE

असम जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को GI टैग

समाचार में

चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने असम के आठ उत्पादों को GI टैग प्रदान किया है, जिनमें पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बीयर की किस्में शामिल हैं।

GI टैग प्राप्त उत्पाद

- **राइस(Rice) बियर की किस्में:**
 - **बोडो जौ ग्वर्न:** सबसे अधिक अल्कोहल की मात्रा (लगभग 16.11%); बोडो समुदाय के लिए अद्वितीय।
 - **मैबरा जौ बिडवी:** एक स्वागत पेय के रूप में जाना जाता है, जो आधे पके हुए चावल और खमीर (अमाओ) से बनाया जाता है।
 - **बोडो जौ गिशी:** ऐतिहासिक महत्व वाली एक और पारंपरिक रूप से किण्वित राइस बियर।
- **पारंपरिक खाद्य उत्पाद:**
 - **बोडो नाफम:** दो से तीन माह में एनारोबिक रूप से तैयार किया गया किण्वित मछली का व्यंजन; इसमें धूम्रपान और सुखाने जैसी संरक्षण तकनीकें शामिल हैं।
 - **बोडो ओंडला:** लहसुन, अदरक, नमक और क्षार के स्वाद वाली चावल पाउडर करी।
 - **बोडो ग्वखा:** बिसागु उत्सव के दौरान तैयार किया जाने वाला व्यंजन, जिसे स्थानीय रूप से 'ग्वका ग्वखी' के नाम से जाना जाता है।
 - **बोडो नार्जी:** जूट के पत्तों से बना अर्ध-किण्वित भोजन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और आवश्यक खनिजों से भरपूर।
- **बोडो अरोनाई:** एक पारंपरिक कपड़ा (1.5-2.5 मीटर लंबा और 0.5 मीटर चौड़ा) को पारंपरिक बोडो बुनकर संघ के माध्यम से GI टैग प्राप्त होता है।

क्या आप जानते हैं?

- GI किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से जुड़े उत्पादों के लिए एक नाम या चिह्न है, जो उस मूल से जुड़ी पारंपरिक विधियों, विशिष्ट गुणों या प्रतिष्ठा को दर्शाता है।
- इसका उपयोग विभिन्न उत्पादों के लिए किया जाता है, जिसमें स्प्रिट पेय, खाद्य पदार्थ, कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं।
- **विनियामक ढांचा:** यह बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) पर WTO के समझौते और औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन द्वारा शासित है।
 - भारत में, इसे 15 सितंबर, 2003 से प्रभावी वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत प्रशासित किया जाता है।
 - भारत में पहला GI टैग 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया।
- **GI टैग के लाभ:**
 - यह GI टैग वाले उत्पादों को कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
 - यह दूसरों द्वारा GI टैग के दुरुपयोग से बचाता है।

- यह उपभोक्ताओं को गारंटीकृत प्रामाणिकता के साथ गुणवत्ता वाले उत्पादों तक पहुँचने में सहायता करता है।
- इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में GI-टैग वाले सामानों की मांग बढ़ती है, जिससे उत्पादकों को लाभ होता है।

Source: [TH](#)

मौद्रिक नीति समिति(MPC)

समाचार में

- केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से नई मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों की नियुक्ति की।

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

- मौद्रिक नीति समिति (MPC) की स्थापना भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बीच नई मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण मौद्रिक नीति ढांचे के कार्यान्वयन के संबंध में एक समझौता ज्ञापन (MoU) के बाद की गई थी।
- यह ढांचा मुद्रास्फीति को एक निर्दिष्ट लक्ष्य सीमा के अंदर रखने पर केंद्रित है।
- MPC के गठन के लिए एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित किया गया था।

प्रमुख प्रावधान:

- संशोधित RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB केंद्र सरकार को छह सदस्यीय MPC गठित करने का अधिकार देती है।
- **कार्य:** MPC को बेंचमार्क नीति दर (यानी रेपो दर) तय करने का कार्य सौंपा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति लक्ष्य स्तर के भीतर बनी रहे।
- MPC द्वारा लिए गए निर्णय RBI के लिए बाध्यकारी हैं।
- MPC ने तकनीकी सलाहकार समिति की पिछली व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया।

संघटन:

- MPC में छह सदस्य होते हैं:
 - RBI गवर्नर (अध्यक्ष)
 - RBI के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति के प्रभारी
 - RBI बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी
 - भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन बाहरी सदस्य
- **कार्यकाल:** बाहरी सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए कार्य करते हैं।

Source: [TH](#)

एनवीस्टेट्स इंडिया 2024: पर्यावरण लेखा

सन्दर्भ

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने "एनविस्टेट्स इंडिया 2024: पर्यावरण लेखा" प्रकाशन का लगातार 7वां अंक जारी किया।

परिचय

- एनवीस्टेट्स में देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण क्षरण और इन मुद्दों के प्रबंधन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी शामिल है।
- इसे SEEA (पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली) फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किया गया है जो पर्यावरण आर्थिक लेखों के संकलन के लिए एक सहमत अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है।

मुख्य विशेषताएं

- मैंग्रोव का कवरेज, जो महासागर पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण उप पारिस्थितिकी तंत्र है, वर्ष 2013 से 2021 के दौरान लगभग 8% बढ़ा है।
- वर्ष 2000 से 2023 की अवधि के दौरान कुल संरक्षित क्षेत्र के लिए संख्या में लगभग 72% और क्षेत्रफल में लगभग 16% की वृद्धि हुई है।
- महासागर लेखा:** इस संस्करण में महासागर लेखा प्रस्तुत किए गए हैं, जो पर्यावरण रिपोर्टिंग के एक नए क्षेत्र को चिह्नित करते हैं।
 - महासागर लेखों के लिए रूपरेखा महासागर पारिस्थितिकी तंत्र खातों पर विशेषज्ञ समूह की तकनीकी सहायता से विकसित की गई है।
- मृदा पोषक सूचकांक:** रिपोर्ट मृदा पोषक सूचकांक के अद्यतन मूल्य प्रदान करती है, जिसे 2023-24 के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड पहल के डेटा का उपयोग करके संकलित किया गया है।

Source: [PIB](#)

फ्रूट फ्लाइ के मस्तिष्क का मानचित्रण करने वाला नया अध्ययन

सन्दर्भ

- वैज्ञानिकों ने एक दशक के प्रयास के बाद फ्रूट फ्लाय (ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर) के मस्तिष्क का सफलतापूर्वक मानचित्रण किया है, जिससे पता चला है कि 140,000 न्यूरॉन्स किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं।

परिचय

- फ्रूट फ्लाय का मस्तिष्क बहुत छोटा होता है, 1 मिमी से भी कम चौड़ा। "कनेक्टोम" नामक इस मस्तिष्क मानचित्र का उपयोग करके, शोधकर्ताओं ने उनके कार्यों को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स का पता लगाया।
- उन्होंने इस मानचित्र के आधार पर एक वर्चुअल फ्लाय का मस्तिष्क भी बनाया।

अध्ययन का महत्व

- यह अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि संवेदी जानकारी मस्तिष्क के माध्यम से कैसे यात्रा करती है और गतिविधि जैसी क्रियाओं को ट्रिगर करती है।
- शोध यह भी बताता है कि स्वस्थ मस्तिष्क कैसे कार्य करता है और इससे अन्य प्रजातियों के मस्तिष्क के समान मानचित्रण की ओर अग्रसर हो सकता है।

Source: [TH](#)

आकाशतीर प्रणाली (Akashteer Systems)

समाचार में

- बढ़ती वैश्विक सुरक्षा चिंताओं के प्रत्युत्तर में, भारतीय सेना ने 100 आकाशतीर वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली (ADCRS) प्राप्त करके अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को काफी बढ़ा दिया है।

परिचय

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा विकसित ये सिस्टम भारत को मिसाइल और रॉकेट आक्रमण सहित हवाई खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- आकाशतीर रडार, सेंसर और संचार प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता है ताकि वास्तविक समय में युद्ध के मैदान का दृश्य प्रदान किया जा सके, जिससे सेना को हवाई खतरों का तेजी से पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने तथा उन्हें बेअसर करने में सहायता मिलती है।

Source: [FE](#)

आयरन डोम एंटी मिसाइल प्रणाली

सन्दर्भ

- ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों की एक श्रृंखला दागे जाने के बाद इजरायल की आयरन डोम मिसाइल रोधी प्रणाली ने रॉकेटों को रोक दिया है।

आयरन डोम

- आयरन डोम को इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर विकसित किया गया था और इसे 2011 में तैनात किया गया था।
- यह एक छोटी दूरी की, सतह से हवा में मार करने वाली, वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें रडार और इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं, जो इजराइली लक्ष्यों पर लक्षित रॉकेट या मिसाइलों को ट्रैक और निष्प्रभावी करती हैं।
- इसका उपयोग रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार (C-RAM) के साथ-साथ विमान, हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहनों का सामना करने के लिए किया जाता है।
- इस रक्षा प्रणाली की सीमा 70 किलोमीटर है।

विश्व भर में वायु रक्षा प्रणालियाँ

- **संयुक्त राज्य अमेरिका: पैट्रियट:** सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और उन्नत विमानों को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई एक लंबी दूरी की, सभी मौसम प्रणाली।
 - **टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD):** एक प्रणाली जिसे टर्मिनल चरण के दौरान छोटी, मध्यम और मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **रूस: S-400:** एक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली जो विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित विभिन्न हवाई खतरों को शामिल करने में सक्षम है।
 - **S-500:** हाइपरसोनिक मिसाइलों और विमानों को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक उन्नत प्रणाली।
- **भारत: S-400:** हाल ही में रूस से प्राप्त, लंबी दूरी की वायु रक्षा क्षमताएँ प्रदान करता है।
- **फ़्रांस: SAMP/T:** एक मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली जो विभिन्न रडार और मिसाइल प्रणालियों के साथ एकीकृत होती है।
- **दक्षिण कोरिया: KAMD (कोरिया एयर एंड मिसाइल डिफेंस):** THAAD और PAC-3 प्रणालियों सहित वायु रक्षा की विभिन्न परतों को शामिल करने वाली एक व्यापक प्रणाली।

Source: IE

चागोस द्वीप

सन्दर्भ

- यूनाइटेड किंगडम (UK) ने घोषणा की है कि चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस को सौंपने के लिए समझौता हो गया है, जिससे ब्रिटेन के अंतिम अफ्रीकी उपनिवेश पर दशकों से चल रहा विवाद और बातचीत समाप्त हो गई है।

चागोस द्वीपसमूह

- चागोस द्वीपसमूह, जिसमें 58 द्वीप शामिल हैं, हिंद महासागर में मालदीव द्वीपसमूह के दक्षिण में लगभग 500 किमी दूर स्थित है।
- 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक ये द्वीप निर्जन थे, जब फ्रांसीसियों ने नव-स्थापित नारियल के बागानों में कार्य करने के लिए अफ्रीका और भारत से दास श्रम लाए। 1814 में, फ्रांस ने इन द्वीपों को अंग्रेजों को सौंप दिया।
- 1965 में, ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र (BIOT) का गठन किया, जिसमें चागोस द्वीप एक केंद्रीय भाग थे। कुछ अन्य BIOT द्वीपों को बाद में 1976 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सेशेल्स को सौंप दिया गया था।
- प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए चागोस को हिंद महासागर में एक अन्य ब्रिटिश उपनिवेश मॉरीशस से जोड़ा गया था। लेकिन जब 1968 में मॉरीशस को स्वतंत्रता मिली, तो चागोस ब्रिटेन के साथ रहा।



Source: [IE](#)

